

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अडतालीस'

परिशिष्ट [5/12/2017]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1127- श्री रामलाल रौतेल माननीय

प्रश्न सं. [क. 1127] विधायक स्थानांतरण कर भारमुक्त संबंधी जानकारी

क	वर्ष	जिले का नाम	पदस्थ रहे अधिकारी का नाम	भारमुक्त किया अथवा नहीं	रिर्माक
1	2	3	4	5	6
1	2015-16	अनूपपुर	श्री पी0एन0चतुर्वेदी सहायक आयुक्त	-	-
2	2015-16	शहडोल	श्री सुधांशु वर्मा(मूल पद जिला संयोजक)प्रभारी सहायक आयुक्त	-	-
3	2015-16	उमरिया	श्री अमर सिंह उईके (मूल पद जिला संयोजक)प्रभारी सहायक आयुक्त	भारमुक्त नहीं किया गया ।	श्री अमरसिंह उईके जिला संयोजक का स्थानांतरण कार्यालयीन आदेश दिनांक 30.5.2015 को जिला बुरहानपुर किया गया। श्री उईके द्वारा माननीय न्यायालय से स्टे प्राप्त किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार श्री उईके के अभ्यावेदन को मान्य करते हुये दिनांक 31.8.2015 को प्रभारी सहायक आयुक्त उमरिया के पद पर पदस्थ किया गया ।
4	2016-17	अनूपपुर	श्री पी0एन0चतुर्वेदी सहायक आयुक्त	भारमुक्त किया गया	-
5	2016-17	शहडोल	श्री सुधांशु वर्मा(मूल पद जिला संयोजक) प्रभारी सहायक आयुक्त	-	दिनांक 15.7.2017 को स्थानतरित कर भारमुक्त किया गया ।
6	2016-17	उमरिया	श्री अमर सिंह उईके (मूल पद जिला संयोजक)प्रभारी सहायक आयुक्त	भारमुक्त किया गया ।	-
7	2016-17	उमरिया	श्री आनंद राय सिन्हा(मूल पद जिला संयोजक) प्रभारी सहायक आयुक्त	-	शासन आदेश दिनांक 12.12.2016 के द्वारा श्री सिन्हा को प्रभारी सहायक आयुक्त उमरिया पदस्थ किया गया ।

अपर सचालक

जनजातीय कार्य विकास

मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक

क्रमांक/स्था.1/डी.2/2033/2017/

:: आदेश ::

मान0 विधायक श्री रामलाल रौतेल, द्वारा की गई शिकायत के तारतम्य में कार्यालयीन आदेश पृ0क्रमांक/स्था.6/शिका./सी.1/100/2016/11323 दिनांक 28.05.16 द्वारा गठित जांच दल द्वारा, दिनांक 23.02.2016 एवं 24.02.2016 को संपन्न शबरी महाकुंभ के आयोजन पर हुए व्यय एवं आहरण संबंधी अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि आयोजन में हुए व्यय के भुगतान करते समय श्री पी.एन.चतुर्वेदी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अनूपपुर द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. सर्विस टेक्स एवं वेट टेक्स इत्यादि जी कटौती नहीं की गई, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई।

कुंभ आयोजन में विभिन्न मदों में व्यय की जाकर, जितनी राशि का भुगतान सहायक आयुक्त अनूपपुर द्वारा किया गया है, संबंधित संस्थाओं से नियमानुसार टी.डी.एस., सर्विस टेक्स एवं वेट टेक्स इत्यादि की कुल राशि की वसूली की जाकर शासकीय कोष में जमा करवाने के आदेश जारी किये जाते हैं।

श्री पी.एन.चतुर्वेदी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अनूपपुर को भविष्य के लिये सचेत किया जाकर, शिकायत प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 3/5/17

पृ0 क्रमांक/स्था.1/डी.2/2033/2017/10221
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. कलेक्टर, जिला अनूपपुर।
3. संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास, शहडोल संभाग, शहडोल, म.प्र.।
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अनूपपुर, म.प्र.।
5. संबंधित श्री पी.एन.चतुर्वेदी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अनूपपुर, म.प्र.।
उक्तानुसार राशि शासकीय कोष में जमा कराकर, चालान की प्रति शासन एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
6. स्थापना-5/शिकायत शाखा/गोपनीय शाखा, मुख्यालय।
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश